# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या –212/2016
दायरा दिनांक –14/12/2016
निर्णय दिनांक – 27-1-21

**उनवान**

01. बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल जाति अहीर निवासी रतनपुरा हाल आबाद रामविहार कॉलोनी बानसूर तह0 बानसूर जिल अलवर राज.

--वादी

**बनाम**

01.सांवरमल पुत्र प्रहलाद जाति महाजन निवासी बानसूर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0
02.विजयपाल पुत्र जलेसिंह माता मिसरी देवी जाति अहीर
03.जसवन्त पुत्र जलेसिंह माता मिसरी देवी जाति अहीर निवासी बाबरिया तह0बानसूर जिला अलवर राज0
04.रामनिवास पुत्र फूलचन्द जाति अहीर
05.हरबाई पत्नी फूलचन्द जाति अहीर निवासी रतनपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
06.उप पंजीयक बानसूर जिला अलवर राज0
07.तहसीलदार, बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 बानसूर
08.प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बानसूर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रतिवादीगण

**दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1995**

उपस्थित अधिवक्तागण :-
1. वादी – श्री अनिल कुमार यादव एड0
2. प्रतिवादी- श्री छाजू सिंह तंवर एड0

## –:निर्णय:–

आज यह वाद पत्र हमारे समक्ष वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रकरण के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0 एक्ट के तहत पेश कर विवादित आराजी के विभाजन हेतु निवेदन किया गया जिसका प्रारम्भिक निर्णय दिनांक 04.02.2019 को किया जाकर आदेश दिये गये कि विवादित आ[illegible] 548 रकबा 0.03 है0, 550 रकबा 0.45 है0, 551 रकबा [illegible] 552 रकबा 0.56 है0 वाकै मौजा रतनपुरा तह0 बा[illegible] में वादी 2[illegible]/12 हि0 एवं प्रतिवादी सं0 01 का 7/89 हि0 एवं प्रतिवादी सं0 02 [illegible]0 03 का 100/[illegible] हि0 एवं प्रतिवादी सं0 04 का 4/10 एवं प्रतिवादी सं0 05 का 1/10

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

हि0 अनुसार तकास्मा कर मौके व रिकॉर्ड के हिसाब में से अच्छी व बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन कर कुरेजात कायम कर तहसीलदार बानसूर से कुरेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे।

तहसीलदार, बानसूर द्वारा दिनांक 28.11.2019 को कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर अपने पत्रांक भू0अ0/2019/3357 दिनांक 05.12.2019 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है जिस पर प्रतिवादी सं0 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र एतराज कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत कर पुनः कुरेजात रिपोर्ट मुताबिक कब्जा मौका मिन प्रार्थी/प्रतिवादी का हि0 का तितम्बा अलग दर्शाया जाकर विभाजन कराने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अनुपस्थित पक्षकारों के संबध में अपना एतराज पेश किये जाने से प्रार्थना पत्र एतराज कुरेजात रिपोर्ट खारीज किया गया । तहसीलदार बानसूर द्वारा प्रस्तुत करेजात रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन कर वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी का तकास्मा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

| क0स0 | नाम खातेदार | आ0ख0न0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| 01. | हरबाई पत्नी फूलचन्द जाति अहीर सा0देह खातेदार रहिन एस.बी. आई.बानसूर | 550/2<br>552/2<br>548<br>कुल किता-3 | 0.06 है0<br>0.43 है0<br>0.03 है0<br>कुल रकबा -0.52 है0 |
| 02. | बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल हि0 2/3, विजयपाल,जसवन्त माता मिसरी देवी हि0 1/3 कौम अहीर निवासी सा0देह | 550/1 | 0.39 है0 |
| 03. | बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल हि0 10/39, विजयपाल,जसवन्त माता मिसरी देवी हि0 5/39 कौम अहीर सा0देह<br>सांवरमल पुत्र प्रहलाद हि0 8/13 कौम महाजन सा0बानसूर | 552/1 | 0.13 है0 |
| 04. | रामनिवास पुत्र फूलचन्द, हरबाई पत्नी फूलचन्द हि0 1/2 बनवारीलाल पुत्र अर्जुन लाल कौम अहीर हि0 8/30 विजयपाल, जसवन्त माता मिसरी देवी हि0 4/30 सा0देह सांवरमल पुत्र प्रहलाद हि0 15/10 कौम महाजन सा0बानसूर रहिन रामनिवास , हरबाई हि0 1/2 एस.बी.आई | 551 | 0.08 है0 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन कर अंकन कर अलग-अलग राजस्व लगान कायम किये जावे। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 27/5 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या –212/2016
दायरा दिनांक –14/12/2016
निर्णय दिनांक – 27-1-21

**उनवान**

01. बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल जाति अहीर निवासी रतनपुरा हाल आबाद रामविहार कॉलोनी बानसूर तह0 बानसूर जिल अलवर राज.

--वादी

**बनाम**

01.सांवरमल पुत्र प्रहलाद जाति महाजन निवासी बानसूर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0
02.विजयपाल पुत्र जलेसिंह माता मिसरी देवी जाति अहीर
03.जसवन्त पुत्र जलेसिंह माता मिसरी देवी जाति अहीर निवासी बाबरिया तह0बानसूर जिला अलवर राज0
04.रामनिवास पुत्र फूलचन्द जाति अहीर
05.हरबाई पत्नी फूलचन्द जाति अहीर निवासी रतनपुरा तह0बानसूर जिला अलवर राज0
06.उप पंजीयक बानसूर जिला अलवर राज0
07.तहसीलदार, बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर तह0 बानसूर
08.प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बानसूर तह0 बानसूर जिला अलवर राज0

-- प्रतिवादीगण

**दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**
**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1995**

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. वादी – श्री अनिल कुमार यादव एड0
2. प्रतिवादी– श्री छाजू सिंह तंवर एड0

## –:पर्चा डिक्री:–

अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का बंटवारा (विभाजन) निम्नानुसार किया जाता है:–

| क0स0 | नाम खातेदार | आ0ख0न0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| 01. | हरबाई पत्नी फूलचन्द जाति अहीर सा0देह खातेदार रहिन एस.बी. आई.बानसूर | 550/2<br>552/2<br>548 | 0.06 है0<br>0.43 है0<br>0.03 है0 |
| | | कुल किता- [illegible] | कुल रकबा –0.52 है0 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested

rajesh/court decision/2019/53,188 RT ACT/ बनवारीलाल बनाम सांवरमल वगेरा

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02. | बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल हि0 2/3, विजयपाल,जसवन्त माता मिसरी देवी हि0 1/3 कौम अहीर निवासी सा0देह | 550/1 | 0.39 है0 |
| 03. | बनवारीलाल पुत्र अर्जुनलाल हि0 10/39, विजयपाल,जसवन्त माता मिसरी देवी हि0 5/39 कौम अहीर सा0देह<br>सांवरमल पुत्र प्रहलाद हि0 8/13 कौम महाजन सा0बानसूर | 552/1 | 0.13 है0 |
| 04. | रामनिवास पुत्र फूलचन्द, हरबाई पत्नी फूलचन्द हि0 1/2<br>बनवारीलाल पुत्र अर्जुन लाल कौम अहीर हि0 8/30 विजयपाल, जसवन्त माता मिसरी देवी हि0 4/30 सा0देह<br>सांवरमल पुत्र प्रहलाद हि0 1/10 कौम महाजन सा0बानसूर रहिन रामनिवास , हरबाई हि0 1/2 एस.बी.आई | 551 | 0.08 है0 |

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर, जिला अलवर

आज दिनांक 27/1/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर, जिला अलवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:14:58 IST
Reason: SelfAttested



Scanned with CamScanner